

॥ कार्यालय जिला न्यायालय, टिहरी गढ़वाल ॥
निष्प्रयोज्य एवं अनुपयोगी कम्प्यूटर उपकरणों की नीलामी सूचना

विषय— जिला न्यायालय, टिहरी गढ़वाल के न्यायालयों एवं कार्यालयों के निष्प्रयोज्य एवं अनुपयोगी कम्प्यूटर उपकरणों की नीलामी के सम्बन्ध में।

नीलामी की तिथि— 24.11.2025 (सोमवार)

समय— सांय 04:00 बजे से प्रारम्भ की जायेगी।

स्थान— जिला न्यायालय मुख्यालय टिहरी गढ़वाल।

सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि जिला न्यायालय टिहरी गढ़वाल के न्यायालयों एवं कार्यालयों में निष्प्रयोज्य एवं अनुपयोगी कम्प्यूटर उपकरणों की नीलामी जिला न्यायालय परिसर, टिहरी गढ़वाल में दिनांक 24.11.2025 को दिन में सांय 04:00 बजे से 05:00 बजे के मध्य निस्तारण कमेटी, जिला न्यायालय टिहरी गढ़वाल के अध्यक्ष एवं सदस्यगण की उपस्थिति में की जानी है।

बोलीदाता केन्द्र/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा अनुमोदित ई-कचरा पुनर्चक्रणकर्ता/संग्राहक/विघटनकर्ता या सम्बन्धित क्षेत्र के निर्माता/उत्पादक होने चाहिए और नीलामी में प्रतिभाग करने से पहले उक्त से सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

जो व्यक्ति/फर्म उक्त नीलामी में भाग लेना चाहते हैं, वे निर्धारित शर्तों की जानकारी हेतु उक्त दिनांक से पूर्व नज्दत अनुभाग, टिहरी गढ़वाल, न्यायालय की वेबसाईट <https://tehrigarhwal.dcourts.gov.in> से एवं नोटिस बोर्ड से प्राप्त कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु जिला न्यायालय टिहरी गढ़वाल में केन्द्रीय साध्यपाल को कार्यालय दूरभाष संख्या 01376-232356 पर सम्पर्क किया जा सकता है।


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/
अध्यक्ष निस्तारण कमेटी,
टिहरी गढ़वाल।

॥ कार्यालय जिला न्यायालय, टिहरी गढ़वाल ॥

निष्प्रयोज्य एवं अनुपयोगी कम्प्यूटर उपकरणों की नीलामी सूचना

विषय— जिला न्यायालय, टिहरी गढ़वाल के न्यायालयों एवं कार्यालयों के निष्प्रयोज्य एवं अनुपयोगी कम्प्यूटर उपकरणों की नीलामी के सम्बन्ध में।

नीलामी की तिथि— 24.11.2025 (सोमवार)

समय— सांय 04:00 बजे से प्रारम्भ की जायेगी।

स्थान— जिला न्यायालय मुख्यालय टिहरी गढ़वाल।

सार्वजनिक नीलामी के लिए नियम एवं शर्तें।

1. निस्तारण कमेटी, जिला न्यायालय टिहरी गढ़वाल को बिना कारण बताये किसी भी बोली/नीलामी प्रक्रिया को अस्वीकार करने का अधिकार होगा। उक्त समिति बिना कोई कारण बताये नीलामी के लिए प्रस्तावित किसी भी वस्तु को नीलामी से वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखती है।
2. बोलीदाताओं को केन्द्र/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति से अनुमोदित ई-अपशिष्ट पुनर्चक्रणकर्ता/संग्राहक/विघटनकर्ता के रूप में पंजीकृत या सम्बन्धित वस्तु के निर्माता/उत्पादक होने चाहिए और नीलामी में प्रतिभाग करने से पहले उक्त से सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बोलीदाता को भारत सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त संगठन के किसी भी विभाग द्वारा वर्ज्य सूची (Black list) में नहीं डाला गया हो।
3. नीलामी में प्रतिभाग करने वाले समस्त बोलीदाताओं को सार्वजनिक नीलामी की शर्तों पर सहमति के पश्चात ही प्रतिभाग करना अपेक्षित है एवं जमानत धनराशि के रूप में नजारत अनुभाग, जिला न्यायालय टिहरी गढ़वाल में जमा करने होंगे, जो नीलामी प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त असफल बोलीदाताओं को नियमानुसार वापस कर दी जाएगी।
4. जमानत धनराशि को जमा करने हेतु प्रपत्र कार्यालय जिला न्यायालय टिहरी गढ़वाल के नजारत अनुभाग में किसी भी कार्य दिवस पर प्राप्त कर सकते हैं एवं उक्त प्रपत्र जिला न्यायालय टिहरी गढ़वाल की वेबसाइट <https://tehrigarhwal.dcourts.gov.in/> पर भी उपलब्ध रहेगा।
5. नीलामी के लिए प्रस्तावित स्कैप वस्तुओं का निरीक्षण प्रस्तावित बोलीदाताओं द्वारा दिनांक 13.11.2025 के बाद से दिनांक 22.11.2025 तक किसी भी कार्यदिवस को प्रातः 10:00 बजे से अपराहन 04:00 बजे के मध्य, जिला न्यायालय टिहरी गढ़वाल में केन्द्रीय साध्यपाल को सूचित करने और नजारत अनुभाग से अनुमति प्राप्त करने के बाद किया जा सकता है।
6. नीलामी प्रक्रिया में अधिकतम बोली लगाने वाले बोलीदाता को उक्त उपकरण विक्रय किये जायेंगे। जिस बोलीदाता की अंतिम बोली स्वीकार की जायेगी, उस बोलीदाता को नीलामी की स्वीकृत सम्पूर्ण धनराशि नकद तुरन्त जमा करनी होगी, यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो उसकी बोली रद्द मान ली जायेगी और उसकी बयाना राशि जब्त कर ली जायेगी एवं अगले उच्चतम बोलीदाता को दे दी जायेगी।
7. नीलाम की गई वस्तुओं की किसी भी बोली को स्वीकृत निस्तारण कमेटी, जिला न्यायालय टिहरी गढ़वाल द्वारा पुष्टि के अधीन होगी।
8. रद्दी वस्तुओं की नीलामी जहाँ और जैसी स्थिति में की (As is where is basis) जायेगी।
9. नीलाम की गई वस्तुएं उच्चतम बोली लगाने वाले को तभी सौंपी जायेगी जब उसके द्वारा पूर्ण और अन्तिम भुगतान कर दिया जायेगा और सक्षम प्राधिकारी द्वारा हटाने की अनुमति दी

जायेगी। वह न्यायालय के केन्द्रीय साध्यपाल या निस्तारण कमेटी टिहरी गढवाल द्वारा अधिकृत अधिकारी, जिला टिहरी गढवाल की उपस्थिति में सामग्री हटाएगा।

10. जिस बोलीदाता की बोली अन्तिम बोली समक्ष प्राधिकारी द्वारा स्वीकार और अनुमोदित की जायेगी, वह 02 दिन के भीतर न्यायालय परिसर से सामग्री को अपने खर्चे पर हटाने के लिए जिम्मेदार होगा।

11. नीलामी की शर्तों के सम्बन्ध में किसी भी विवाद की स्थिति में, निस्तारण समिति, जिला न्यायालय टिहरी गढवाल का निर्णय अन्तिम होगा और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

12. नीलामी के सम्बन्ध में किसी भी कानूनी कार्रवाही के लिए, क्षेत्रीय अधिकारी क्षेत्र जिला न्यायालय टिहरी गढवाल में होगा।

13. उक्त कम्प्यूटर अनुभाग के निष्प्रयोज्य कम्प्यूटर सिस्टम एवं सहवर्ती उपकरणों की नीलामी हेतु न्यूनतम धनराशि ₹ 10000/- निर्धारित की गयी है।

14. सफल बोलीदाता को अनुबन्ध में एक वचनबद्धता (Annexue-I) प्रस्तुत करनी होगी कि पुराने/अप्रचलित/अनुपयोगी कम्प्यूटर हार्डवेयर आदि से बने ई-कचरा आइटमों को ई-अपशिष्ट (प्रबन्धन) नियम, 2022, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी नियमों के अनुसार संग्रहीत/प्रसंस्कृत/निपटान किया जाएगा।

15. सभी लागू कर, यदि कोई हों स्वीकार्य दरों पर, सफल बोलीदाता द्वारा भुगतान किए जाने होंगे।


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
/अध्यक्ष निस्तारण कमेटी,
टिहरी गढवाल।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. केन्द्रीय साध्यपाल जिला न्यायालय टिहरी गढवाल को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने कार्यस्थल पर नोटिस बोर्ड पर चशपा कराने के साथ ही वृहद प्रचार-प्रसार एवं सुलभ सार्वजनिक स्थानों पर चशपा कराना सुनिश्चित करें।

2. सिस्टम अधिकारी, जिला न्यायालय टिहरी गढवाल को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त सूचना को जिला न्यायालय टिहरी गढवाल की अधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

3. कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, टिहरी गढवाल के नोटिस बोर्ड पर चशपा किये जाने हेतु।

4. कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, टिहरी गढवाल के नोटिस बोर्ड पर चशपा किये जाने हेतु।

5. कार्यालय नगर पालिका, टिहरी गढवाल के नोटिस बोर्ड पर चशपा किये जाने हेतु।

6. जिला सूचना अधिकारी, टिहरी गढवाल नीलामी सूचना के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु।

7. गार्ड-फाईल।


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
/अध्यक्ष निस्तारण कमेटी,
टिहरी गढवाल।

**जिला न्यायालय, टिहरी गढ़वाल के न्यायालयों एवं कार्यालयों में निष्प्रयोज्य एवं अनुपयोगी
कम्प्यूटर उपकरणों की नीलामी हेतु पात्रता प्रपत्र।**
वचनबद्धता

Photo

1-	अग्रिम जमा धरोहर धनराशि (नगद)	रु 2000.....
2-	आवेदक व्यक्ति/ फर्म का नाम व पता	
3-	आवेदक व्यक्ति/फर्म का मोबाइल नम्बर/ईमेल	
4-	आवेदक फर्म की पंजीकरण संख्या (यदि हो तो)	
5	अन्य विवरण 1. पैन नम्बर 2. जीएसटी पंजीकरण सं० 3. अन्य कोई हो तो	

मैं/हम एतद्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता/करती हूँ कि मेरी/हमारी फर्म/कम्पनी/व्यावसायिक संस्था किसी भी सरकारी विभाग/स्वायत्त संगठन आदि द्वारा वर्ज्य सूची नहीं की गई है या किसी भी न्यायालय द्वारा अभियोजित नहीं है तथा उक्त नीलामी से प्राप्त, जिला न्यायालय टिहरी गढ़वाल के न्यायालयों एवं कार्यालयों में निष्प्रयोज्य/अनुपयोगी कम्प्यूटर उपकरणों का भण्डारण/प्रसंस्करण/निपटान इत्यादि ई-अपशिष्ट (प्रबन्धन) नियम, 2022 के नियमों के अनुसार किया जाएगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम.....

पता.....